समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 25-01-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये।
2.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये।
3.	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये।
5.	जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	सहायक गोदाम प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	सहायक गोदाम प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मुरलीगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये।
10.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये।
11.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
12.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
13.	वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
14.	उपायुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
15.	जिला अवर निबंधक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
16.	कार्यपालक अभियंता, एन0एच0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
17.	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
18.	सहायक निदेशक, जिला उद्यान, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदाधिकारी का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	निर्वाचन (उप निर्वाचन पदा0 /अवर निर्वाचन	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर बैठक में मतदाता जागरूकता संबंधी जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गयी तथा जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों

	पदा0)	को मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ यथा- " हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे"। ग्रहण कराया गया। साथ ही सभी को साधारण मतदाताओं के लिए पंजीकरण एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी सहायता संबंधी पुस्तिका उपलब्ध कराया गया।
2.	(पंचायत) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि मतदाता सूची का संशोधन सही ढ़ंग से नहीं हो रहा है। बताया गया कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि किसी मतदाता का नाम एक वार्ड में है तथा इनके सदस्य का नाम अन्य वार्ड में है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि पंचायत चुनाव, 2016 के अवसर पर मतदाता सूची का संशोधन सही ढ़ंग से कर लिया जाए। सभी पंचायत सचिव से एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि संशोधन का कार्य सही तरीके से पूर्णरूपेण हो गया है। यह भी निदेश दिया गया कि 4-4 पंचायत का कार्यक्रम तैयार कर पंचायत सचिव को मतदाता सूची को संशोधन हेतु आवंटित कर दें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में सभी पंचायत सचिव को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित करें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बूथ का प्रकाशन दिनांक 27-01-2016 को होगा, जबकि आरक्षण का प्रस्ताव विभाग को दिनांक 01-02-2016 को भेज दिया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अवर निर्वाचन पदाधिकारी को आरक्षण की जांच हेतु प्रतिनियुक्त करें कि आरक्षण का जो कार्य किया जा रहा है, वह सही ढ़ंग से हो रहा है अथवा नहीं।
3.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा इंदिरा आवास की समीक्षा की गयी। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास के तहत 76 प्रतिशत उपलब्धि हुई है। साथ ही मनरेगा, 13वीं वित्त आयोग /बी0आर0जी0एफ0, कोशी पुनर्वास योजना आदि योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया।
4.	(जीविका) जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा	जीविका के समीक्षा के क्रम में डी0पी0एम0 एवं सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि मद्य निषेध अभियान कार्यक्रम के तहत् पूर्व में दिए गए निदेश के आलोक में अविलम्ब सर्वे करावें तथा प्रतिवेदन अगले सोमवारीय बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5.	(कन्या विवाह योजना) जिला प्रोग्राम पदा0, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा के बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
6.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा /मध्याह्न भोजन /स्थापना /लेखा एवं योजना /साक्षरता के बैठक से अनुपस्थित

	/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदा0, एम0डी0 एम0, मधेपुरा	रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
7.	(कल्याण) जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृति वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि दिनांक 18-01-2016 से ही छात्रवृति की राशि संबंधित छात्रों के खाता में भेजने का निदेश पूर्व में दिया गया था। कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कल्याण मद में प्राप्त आवंटन की जांच कर प्रतिवेदन अगली सोमवारीय बैठक में देंगे।
8.	(अल्पसंख्यक कल्याण) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है। कुल 729 छात्रों में से 250 छात्रों का वितरण हेतु शेष बचा हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए छात्रों को अविलम्ब छात्रवृति का भुगतान नियमानुसार करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कब्रिस्तान घेराबंदी का ए0सी0 विपत्र लंबित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभि0, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन प्र0 द्वारा बताया गया कि जिला अभियंता, जिला परिषद् के यहां लगभग 25-30 लाख रू0 का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु लंबित है। जिला अभियंता, जिला परिषद् को निदेश दिया गया कि अगले सोमवारीय बैठक से पूर्व डी0सी0 विपत्र का समायोजन सुनिश्चित करें। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सेवानिवृति के पूर्व डी0सी0 विपत्र का समायोजन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रभारी पदा0, गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में Follow up करें।
9.	(योजना) जिला योजना पदा0,मधेपुरा	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि योजना विभाग की समीक्षा बुधवार /वृहस्पतिवार को अलग से की जाएगी, फलस्वरूप प्रतिवेदन आदि संकलित कर बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे।
10.	डूडा	कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डूडा अन्तर्गत जो कार्य किया जा रहा है, उसमें कुछ कार्यो का डी0सी0 विपत्र का समायोजन बांकी है, जबकि डी0सी0 विपत्र के समायोजन के संबंध में दिनांक 27-01-2016 को विभाग स्तर पर विडियो कॉन्फ्रेसिंग आयोजित की गयी है। निदेश दिया गया कि डी0सी0 विपत्र का समायोजन ससमय करें।
11.	परिवहन	जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन विडियोग्राफी कराने हेतु एक व्यक्ति को कार्य आवंटित कर दिया गया है, जिसके निमित्त 27 वाहन मालिकों को नोटिस निर्गत कर भेज दिया गया है तथा 40 को नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन प्रतिवेदन समर्पित करें, जितना नोटिस निर्गत किया जा रहा है, उन सभी की सूचना प्रेस विज्ञप्ति में दिया जाए। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रेस कतरन में खबर छपी है कि गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी लगाये जाने के बावजूद भी मोटरयान

		निरीक्षक द्वारा वाहनों का परिचालन करवाया जा रहा है तथा जांच नहीं किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मोटरयान निरीक्षक से स्पष्टीकरण पूछते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
12.	(सामाजिक सुरक्षा) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	➢ समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि कुल 89,000 पेंशनधारियों का ई–लाभार्थी के तहत् 2500 का प्रविष्टि अब तक हो चुका है, शेष प्रविष्टि करवाने हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि प्रतिदिन अब तक कुल कितना इन्ट्री हुआ एवं कुल कितना करना था, से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक दिन प्राप्त कर संध्या 06:00 बजे तक जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध करावें। ➢ यह भी निदेश दिया गया कि यदि आवंटन की कमी है, तो आवंटन प्राप्त करने हेतु विभाग को पत्राचार करें। ➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पेंशनधारियों का खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जिसे तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। निदेशित किया गया कि प्रतिदिन कितना खाता खोला गया, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। ➢ ओल्ड इन होम :– सहायक निदेशक, सा0सु0 द्वारा बताया गया कि दोनों अनुमण्डल में ओल्ड इन होम भवन का निर्माण 25 लाख रू0 की लागत से कराया जाएगा, जिसके लिए सरकारी जमीन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि सरकारी जमीन हेतु अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। ➢ रिमाण्ड होम – सहायक निदेशक, सा0सु0 द्वारा बताया गया कि अप्रैल, 2016 तक रिमाण्ड होम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा। निदेश दिया गया कि ससमय उक्त कार्य को पूर्ण करें।
13.	(श्रम) श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	श्रम अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :– (see table below) श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि 137 ईट भट्ठों की सूची जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करावें, ताकि खनन पदाधिकारी द्वारा उक्त ईट भट्ठों की जांच कर यह सुनिश्चित कर सके कि संबंधित ईट भट्ठों द्वारा राजस्व जमा कराया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही प्रत्येक माह के पहला सोमवारीय बैठक में जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा को भाग लेने हेतु सूचित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को दिया गया।
14.	स्वास्थ्य	➢ सिविल सर्जन को डी0–एडिक्शन हेतु मरीजों के लिए अस्पताल भवन के लिए निदेश दिया गया कि सदर अस्पताल, मधेपुरा में खाली जमीन को चिन्हित करें तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा के सहयोग से नक्सा आदि तैयार कर

क्र0	श्रम अधीक्षक कार्यालय /श्रम प्रवर्तन पदा0	कुल श्रमिकों का निबंधन	ईट भट्ठों की जांच	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	बंधुआ मजदूर
1	श्रम अधीक्षक कार्यालय	114	04	50	0
2	श्रम प्रवर्तन पदा0, ग्वालपाड़ा	110	02	15	0
3	श्रम प्रवर्तन पदा0, शंकरपुर	42	-	02	0
4	श्रम प्रवर्तन पदा0, आलमनगर	58	-	03	0
5	श्रम प्रवर्तन पदा0, मुरलीगंज	67	02	0	0
6	श्रम प्रवर्तन पदा0, पुरैनी	On Leave			
	कुल	**391**	**08**	**70**	**0**

		समर्पित करें, ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। ➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दवाई की कमी के बारे में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से सूचना दी जा रही है। सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि दवाई की उपलब्धता हेतु अविलम्ब नियमानुसार निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करें। ➢ जिलाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन से पृच्छा की गयी कि आई0सी0यू0 एवं एन0एस0यू0 भवन की क्या स्थिति है। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है, लगभग 04 लाख रू0 का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ➢ सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि एस0एन0सी0यू0 एक-दो दिन में हेण्डओभर हो जायेगा तथा चालू भी हो जायेगा। निदेश दिया गया कि अविलम्ब चालू करावें। ➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा निदेशित किया गया है कि सदर अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जो मान्य न हीं है। चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी यदि एक या दो बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें लघु दण्ड दिया जायेगा एवं तृतीय बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर वृहद दण्ड दिया जायेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा। अतएव सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करावें।
15.	भवन	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि राजस्व कार्यालय एवं ग्वालपाड़ा में स्टेडियम निर्माण की दिशा में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा जो भी प्रखण्ड भवन का कार्यालय निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है, उस संबंध में अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध करावें, ताकि विभाग को ससमय भेजा जा सके। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस वर्ष की प्राथमिकता सूची तैयार कर लें कि क्या-क्या कार्य किया जाना है।
16.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम्प्युटर केन्द्र को चालू कराने हेतु विभिन्न स्त्रोत से सूचना मिल रही है। बताया गया कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त केन्द्र के सचिव हैं। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निदेशित किया गया कि उक्त केन्द्र को अविलम्ब चालू करवाना सुनिश्चित करें।
17.	पंचायत सरकार भवन	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निदेशित किया गया कि ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करावें एवं प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को निर्माण कराये गये भवन का जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करें।
18.	बाढ़ आश्रय स्थल	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिले में निर्माणाधीन बाढ़ आश्रय स्थल की आज ही जांच करें तथा जांच प्रतिवेदन समर्पित करें।

19.	निर्वाचन कार्यालय	समीक्षा के क्रम में अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन कार्यालय वेश्म का छोटा एवं सामग्री अधिक रहने के कारण सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के बैठने में समस्या उत्पन्न होती है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि समाहरणालय में सभी अवस्थित कार्यालय का निरीक्षण अपने स्तर से कर लें, यदि किसी शाखा को किसी अन्यत्र जगह स्थानांतरण करना हो, तो नियमानुसार स्थानांतरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि आपूर्ति कार्यालय के बगल में नजरी नक्सा का भवन बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें टूटे-फुटे बहुत सारा सामग्री रखा हुआ है। बताया गया कि उक्त कमरा को भी खाली कराकर इसमें किसी कार्यालय को स्थापित किया जा सकता है। निदेशित किया गया कि एक त्रिस्तरीय समिति का गठन करा दिया जाए, ताकि बेकार सामग्री का नीलामी नियमानुसार कराया जा सके।
20.	(एन0एच0) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा	कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को निदेशित किया गया कि बैठक से अनुपस्थित रहने के निमित्त स्पष्टीकरण पूछा जाए।
21.	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज	जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज को निदेशित किया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का कार्य दिनांक 26-01-2016 से हरहाल में लागू करना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन अगली सोमवारीय बैठक से पूर्व उपलब्ध करावें।
22.	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज	समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा में पी0एम0जी0एस0वाई0 मद में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि विभाग को पत्राचार करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फरवरी, 2016 में ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा तथा उदाकिशुनगंज का अगल से समीक्षा की जाएगी।
23.	कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा फरवरी, 2016 में अलग से की जाएगी।
24.	नीलाम	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नीलाम पत्र की स्थिति बहुत खराब है। नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 35 मामलें लंबित है, जिसमें नोटिस निर्गत की कार्रवाई की जा रही है।
25.	अन्यान्य	**1-कैन्टिन** :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाहरणालय परिसर में एक कैन्टिन की आवश्यकता है, ताकि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को न्युनतम दर पर स्वच्छ चाय/नास्ता आदि मिल सके। जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करें। साथ ही कैन्टिन में जो दर लिया जाए, उसे गठित समिति से स्वीकृति करा ली जाए एवं उक्त कैन्टिन समाहरणालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए ही रहे, बाहरी

व्यक्तियों को उस कैन्टिन में खाने /पीने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित किया जाए।

2- 26 जनवरी, 2016 के अवसर पर बी0एन0मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में झांकी निकालने एवं अन्य कार्यक्रम की तैयारी हेतु उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को निदेशित किया गया।

3-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि दिनांक 26-01-2016 को माननीय प्रभारी मंत्री, जिला बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के द्वारा झण्डोत्तोलन का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया गया है, फलस्वरूप इस आशय की सूचना प्रेस विज्ञप्ति में निकाली जाए।

4-विद्युत :- समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर की समस्या अत्यधिक है। नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इसकी समीक्षा करें कि विगत एक वर्ष में विद्युत विभाग को कितना मीटर प्राप्त हुआ, कितना लगा तथा कितना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा गया है एवं कितना मीटर बिलिंग साईकिल में है, से संबंधित प्रतिवेदन संकलित कर अगली सोमवारीय बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शंकरपुर प्रखण्ड क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विद्युत का तार कई जगहों पर लटका हुआ पाया गया तथा तार खेत में भी पड़ा हुआ पाया गया। इस तरह तार के लटकने से किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा तार काटा जा सकता है तथा किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि किसी भी पोल में तार नहीं लटके, इसे सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि जितने भी उपभोक्ताओं का मीटर नहीं लगाया गया है, उन उपभोक्ताओं के यहां अविलम्ब मीटर लगाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके द्वारा चोरी कर विद्युत का इस्तेमाल नहीं किया जा सके।

5-उद्योग :- समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत 73 में से 35 उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकृति हुआ है। निदेश दिया गया कि अग्रणी बैंक प्रबंधक से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिले में विभिन्न औद्योगिक संस्थान के खोलने हेतु विभिन्न एजेंसी /कम्पनी द्वारा सम्पर्क किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक वरीय उप समाहर्त्ता को उद्योग हेतु नामित किया जाएगा, जो फैक्ट्री लगाने आदि का कार्य देखेंगे तथा उसका कार्यालय उद्योग भवन में ही अवस्थित किया जाएगा।

6-गव्य विकास :- समीक्षा के क्रम में जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जो भी स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसे संकलित कर अग्रतर कार्रवाई करें। आगामी माह में 15-16 फरवरी, 2016 को इसकी समीक्षा अलग से की जाएगी।

7-चल-अचल सम्पत्ति :- समीक्षा के क्रम में आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुल 243 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों में से अब तक 110 का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी

		संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ससमय रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका माह जनवरी, 2016 का वेतन स्थगित रखें।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ravi 27/1/2016
आशुलिपिक
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।
Khalid 27/01/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 27/1/16

ज्ञापांक 208 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 27.01.2016

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ravi 27/1/2016
आशुलिपिक
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।
Khalid 27/01/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 27/1/16